15

14-5-21

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। सभी पक्षों को सुना। वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

लुखी हेम्ब्रम, पति– स्व० सलखू किस्कू, साकिन–धेनुकट्टा कुशाबारी, थाना व अंचल– पोड़ैयाहाट, जिला– गोड्डा के द्वारा गोड्डा अंचल के नामान्तरण वाद संख्या–85/1976–77 में अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा दिनांक–31.05.1977 को नामान्तरण संबंधी पारित आदेश को रद्द करने हेतु नामान्तरण (म्यूटेशन) अपील आवेदन दिनांक–29.07.2016 को दाखिल किया गया है। साथ ही कालबाधित अपील अवधि को The Limitation Act की धारा–5 के तहत condone करते हुए अपील सुनने हेतु लिखित अनुरोध किया गया है। उपायुक्त न्यायालय, गोड्डा के आर०एम०ए० वाद नम्बर–16/2016–17 लुखी हेम्ब्रम बनाम सोलह आना रैयान, मौजा अमरपुर एवं अन्य में उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा दिनांक–06.11.2018 को पारित आदेश एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, गोड्डा के डी०वी० नम्बर–59/विधि दिनांक–12.11.2018 के आलोक में संबंधित सभी पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया।

विचाराधीन मामला अंचल–गोड्डा के मौजा–अमरपुर, थाना नम्बर–534 के जमाबंदी नम्बर–91 के अधीन दाग नम्बर–1758,1507,1612,1614,1617,1681,1826,2439 के तहत कुल रकवा–06 बीघा–10 कट्ठा–03 धूर जमीन, जिसका जमाबंदी रैयत धुनू हाँसदा पेसर–जगन हाँसदा है, का नामान्तरण अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल कार्यालय, गोड्डा के नामान्तरण वाद संख्या–85/1976–77 में अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केस नम्बर–33/73–74 में अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जमाबंदी भूमि अन्य के साथ बंदोबस्त करने संबंधी पारित आदेश के आधार पर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण बाबुराम टुडू पेसर– छोटा हथिया टुडू साकिन–अमरपुर, थाना व अंचल–गोड्डा के नाम से करने संबंधी दिनांक–31.05.1977 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत भूमि अंचल–गोड्डा के मौजा–अमरपुर, थाना नम्बर–534 के जमाबंदी नम्बर–91 के अधीन दाग नम्बर–1758,1507,1612,1614,1617,1681,1826,2439 के तहत कुल रकवा–06 बीघा–10 कट्ठा–03 धूर, जमाबंदी रैयत धुनू हाँसदा पेसर–जगन हाँसदा साकिन–डुगरा टोला के नाम से गत गेंजर सेटलमेंट सर्वे पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत के वंशज है एवं प्रश्नगत भूमि के उतराधिकारी है। जमाबंदी रैयत धुनू हाँसदा पेसर–जगन हाँसदा साकिन–कुशाबाड़ी के नाम से इसके अतिरिक्त पोड़ैयाहाट अंचल के मौजा–धेनुकट्टा, थाना नम्बर–130 जमाबंदी नम्बर–52 के अधीन 20 बीघा 01 कट्ठा 06 धूर जमीन है, जो जमाबंदी रैयत धुनू हाँसदा के वंशज के दखल–कब्जे में है और वे सरकार को इसका मालगुजारी भी देते आ रहे हैं। हाल के दिनों में अपीलकर्त्ता को ज्ञात हुआ कि एक किसान जो उनकी जमीन पर काम किया करते थे, के द्वारा मौजा–अमरपुर, थाना नम्बर–534 के जमाबंदी नम्बर–91 की उनकी जमीन को गलत ढंग से हड़पने की साजिश कर रहे हैं। खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व में अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा फर्जी तरीके से रैयती भूमि का नामान्तरण भूमि रैयत के वंशज को छोड़कर किसी अन्य बाहरी व्यक्ति बाबुराम टुडू पेसर– छोटा हथिया टुडू साकिन–अमरपुर, थाना व अंचल–गोड्डा के नाम से किया गया है। जानकारी

मिलने के बाद उक्त फर्जी कागजात के आधार पर एवं अवैध रूप से किये गये नामान्तरण को रद्द करने हेतु अपीलवाद दाखिल किया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कहा कि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केस नम्बर–33/73–74 में अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा दिनांक–23.08.1976 को पारित आदेश एवं मिस केश नम्बर 116/73 में पारित आदेश के आलोक में जमाबंदी रैयत के वंशज को छोड़कर बाहरी व्यक्ति के नाम से भूमि का नामान्तरण किया गया है। पूर्व में नामान्तरण हेतु आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में गलत सूचना दी गई कि जमाबंदी रैयत धुनू हाँसदा हमेशा के लिए नेपाल चले गये और उनका यहाँ पर कोई वंशज नहीं है, जबकि रैयत धुनू हाँसदा की पत्नी रांधन बेसरा की मृत्यु दिनांक–27.05.1972 को यहीं हुई है, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र संख्या–367004 ग्राम पंचायत कार्यालय, रघुनाथपुर (पोड़ैयाहाट) के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसकी छाया प्रति समर्पित की जा रही है। साथ ही रांधन बेसरा के द्वारा सरकार को दिये गये मालगुजारी संबंधी रसीद की छाया प्रति भी समर्पित की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत की पत्नी रांधन बेसरा एवं उनके वंशजों के द्वारा भूमि का मालगुजारी सरकार को दिया जाता रहा है। वहीं अंचलाधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा निर्गत पारिवारिक सम्बंध प्रमाण–पत्र संख्या–30/2015–16 दिनांक–08.09.2015, जिसकी छाया प्रति समर्पित की जा रही है, से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत के वंशज है। इस संबंध में उपायुक्त, गोड्डा के आदेशानुसार अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्रांक–1805/रा० दिनांक–07.09.2018, जिसकी छाया प्रति समर्पित की जा रही है, के द्वारा भी स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत धुनू हाँसदा के परनाती की पत्नी हैं।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के विविध वाद संख्या–1539/2016 लुखी हेम्ब्रम बनाम पृथ्वी साईलन मुर्मू में पारित आदेश की छाया प्रति समर्पित करते हुए कहा कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा मौजा–अमरपुर, थाना नम्बर–534 के जमाबंदी नम्बर–91 से बने हाल जमाबंदी नम्बर–125 से विपक्षी का नाम विलोपित करते हुए आवेदिका का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जिससे भी स्पष्ट है कि आवेदिका जमाबंदी रैयत के वंशज है और प्रश्नगत भूमि का उतराधिकारी है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 के तहत आदिवासी रैयती भूमि के अधिकार का हस्तान्तरण करने पर प्रतिबंध है तथा संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में निहित प्रावधानों के तहत रैयती भूमि को बिना सक्षम अधिकार प्राप्त किये अन्य के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। पूर्व में की गई ऐसी सभी कार्रवाई विधि के अनुरूप नहीं है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि बिहार गवर्नमेंट इस्टेट मैनुअल 1941 एवं बिहार टेनेन्टस् होल्डिंग (मेंटेनेंस ऑफ रिकार्ड) एक्ट के अनुसार केवल उतराधिकार या पूर्वजों से भूमि प्राप्ति, बिक्री/दान/बदली के द्वारा भूमि स्थानान्तरण एवं रैयतों के वंशजों के आपसी बटवारे के आधार पर भूमि प्राप्ति का ही नामान्तरण करने का प्रावधान है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल कार्यालय, गोड्डा के नामान्तरण वाद संख्या–85/1976–77 में दिनांक–31.05.1977 को पारित

आदेश विधि के विरूद्ध बताते हुए उक्त नामान्तरण आदेश को रद्द करने का अनुरोध प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया।

वहीं द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा किये गये उक्त नामान्तरण की वैधता से संबंधित कोई ठोस पक्ष, साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न हीं अपीलकर्त्ता के दावे के विरूद्ध कोई साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत किया गया।

सभी पक्षों को सुनने एवं समर्पित कागजात/दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका जमाबंदी रैयत धुनू हांसदा के वंशज है और जमाबंदी रैयत के वंशज के जीवित रहते हुए रैयती भूमि का नामान्तरण रैयतों के वंशज के अतिरिक्त किन्हीं अन्य बाहरी व्यक्ति के नाम से करना विधि अनुरूप नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–संख्या–85/1976–77 में दिनांक–31.05.1977 को नामान्तरण संबंधी पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायें एवं इसकी एक प्रति ई–कोर्ट के विभागीय वेबसाइट (पोर्टल) पर अपलोड करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

14.9.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

14.9.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.01.08 12:12:33 +05:30
Location: 192.168.29.124